

घोषणा पत्र
(शिक्षा हेतु सहायता)

मैं _____ सुपुत्र /पत्नी श्री _____
निवासी _____ बोर्ड पंजीकरण संख्या _____
निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मेरा सुपुत्र/सपुत्री _____ जो कक्षा _____ में अनुक्रमांक _____
सत्र/वर्ष _____ स्कूल / कॉलेज/ संस्थान _____
जिला _____ में नियमित विद्यार्थी है।
2. मैंने अपने सुपुत्र/सपुत्री की इसी कक्षा के लिए दोबारा शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन नहीं किया है।
3. मैं आज भी भवन निर्माण कार्यों से जुड़ा हुआ/हुई हूँ तथा बोर्ड का सक्रिय सदस्य हूँ तथा वेबसाइट पर मेरे द्वारा अपलोड की गई सूचना/दस्तावेज सही व अपडेटेड है।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरे समुचित ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं। इनमें से न तो कोई तथ्य गलत है और न ही कोई तथ्य छुपाया गया है। यदि उपरोक्त तथ्य किसी भी समय गलत पाये जाते हैं तो हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मेरे खिलाफ दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही करने का हकदार होगा तथा मेरे द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता की राशि को मैं लौटाने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी तथा मुझे अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित करने तथा मेरा पंजीकरण निरस्त करने का भी बोर्ड को अधिकार होगा।

स्थान:

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

तिथि:

मो0 नं0: _____

स्कूल/कॉलेज/संस्थान के मुखिया द्वारा सत्यापन

मैं श्री/श्रीमति _____ प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक _____
_____ जिला _____ सत्यापित
करता/करती हूँ कि _____ (विद्यार्थी का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री,
श्री/श्रीमति _____ इस स्कूल/कॉलेज/संस्थान की कक्षा _____
अनुक्रमांक/पंजीकरण संख्या सत्र का नियमित
विद्यार्थी है।

दिनांक :

प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक के हस्ताक्षर

स्थान:

नाम _____

फोन नं०

कार्यालय मोहर

स्कूल/कॉलेज/संस्थान के मुखिया द्वारा सत्यापन

में श्री/श्रीमती _____ मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य _____
_____ जिला _____ सत्यापित करता/करती हूँ
_____ (विद्यार्थी का नाम) इस स्कूल/कॉलेज/संस्थान की कक्षा _____
का नियमित विद्यार्थी है तथा इसका अनुक्रमांक / पंजीकरण संख्या _____ व सत्र _____ है।

दिनांक: _____ प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक
(हस्ताक्षर)
स्थान: _____ फोन नं०: _____
कार्यालय मोहर

सत्यापन

(केवल निजी संस्थानों में व्यवसायिक/तकनीकी कोर्स कर रहे छात्र/छात्रा के लिए अनिवार्य)

अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक _____ को निजी स्कूल/कालेज/संस्थान _____
का निरीक्षण किया व जाँच पड़ताल करने पर पाया कि श्री/कुमारी _____ सुपुत्र/सुपुत्री श्री
_____ उक्त संस्थान की कक्षा _____ अनुक्रमांक / पंजीकरण संख्या
_____ व सत्र _____ में नियमित पढ़ाई कर रहा/रही है।

दिनांक: _____ अधिकारी के हस्ताक्षर
स्थान: _____ नाम: _____
फोन नं०: _____
कार्यालय मोहर

उपरोक्त सत्यापन उप-श्रम आयुक्त/सहायक श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी /खंड शिक्षा अधिकारी/खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, तहसीलदार या नायब तहसीलदार में से किसी एक अधिकारी द्वारा किया जाना है।